

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 जुलाई 2023—आषाढ़ 22, शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2023

क्र. 13136-मप्रविस-15-विधान-2023.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०२३ (क्रमांक १३ सन् २०२३) जो विधान सभा में दिनांक 12 जुलाई, 2023 को पुरस्थापित हुआ है। जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०२३

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०२३

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम: १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२३ है।

अनुसूची का संशोधन: २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ५१ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
“५२	ज्ञानोदय विश्वविद्यालय, नीमच	ज्ञानोदय शिक्षण समिति, नीमच	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	ज्ञानोदय विश्वविद्यालय, ग्राम-सुवाखेड़ा, जिला नीमच.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
५३.	जे.एन.सी.टी. प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल	जय नारायण शिक्षा समिति, भोपाल	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	जे.एन.सी.टी. प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, न्यू चौकसे नगर, लाम्बा खेड़ा, बैरसिया रोड, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
५४.	चिरायु विश्वविद्यालय, भोपाल	चिरायु चेरिटेबिल फाउंडेशन, भोपाल	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	चिरायु विश्वविद्यालय, भोपाल-इंदौर हाईवे, बैरागढ़ के पास, भैंसखेड़ी, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने ज्ञानोदय विश्वविद्यालय, नीमच, जे.एन.सी.टी. प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल तथा चिरायु विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की है। उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों को आशय पत्र जारी कर दिए हैं। उक्त अधिनियम की धारा ९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में उनके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जाएगा।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख १० जुलाई, २०२३

डॉ. मोहन यादव

भारसाधक सदस्य।